न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 05/2015

अनवान

1. सीता पुत्री रामा
2. गीता पुत्री रामा
3. नानी पुत्री रामा

समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम बडल्या ,तहसील व जिला–अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरदारा पुत्र रामा,
2. सेठू पुत्र रामा
3. उमी उर्फ झूमी पत्नी रामा

समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम बडल्या, तहसील व जिला–अजमेर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला–अजमेर ..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री प्रदीप यादव अभिभाषक रेस्पोडेन्टस
3. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 16.02.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडल्या तहसील अजमेर के आराजी खसरा सं0 64 मिन रकबा 1–14–00 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 20/5616 रकबा 0.21 हैक्टर, व 21 रकबा 0.07 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 अपीलान्ट के स्व0 पिता रामा वल्द लाला के कब्जे काश्त की आराजीयात थी। लम्बे अर्से से कब्जा काश्त होने से उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 21.02.95 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 18.6.1995 से खातेदारी दर्ज किये जाने दौरान अपीलान्ट्स का नाम दर्ज नहीं किया गया। इस नामान्तरकरण से रूष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित आने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई

रेस्पों. अभिभाषक द्वारा अपील के मयाद बिन्दु पर आपत्ति व्यक्त किये जाने पर अभिभाषक अपीलान्ट्स ने धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि आक्षेपित नामान्तरकरण दिनांक 18.6.1995 की अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी माह दिसम्बर में होने पर सर्वप्रथम आक्षेपित नामान्तरकरण की प्रति हेतु दिनांक 15.12.2014 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर उनको दिनांक 22.12.2014 को नकल प्राप्त हुई। नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अभिभाषक से सम्पर्क कर उनकी राय अनुसार अपील तैयार करवाई जाकर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद मान0 न्यायालय में पेश की गई है। जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बडल्या तहसील अजमेर के आराजी खसरा सं0 64 मिन रकबा 1–14–00 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 20/5616 रकबा 0.21 हैक्टर, व 21 रकबा 0.07 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 अपीलान्ट के स्व0 पिता रामा वल्द लाला के कब्जे काश्त की आराजीयात थी। विवादित आराजीयात पर लम्बे अर्से से कब्जा काश्त होने तथा भूसंशोधन में खातेदार अंकित होने से उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा खातेदार के पक्ष में नियमित किये जाने के आदेश दिनांक 21.02.95 पारित किया। इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 18.6.1995 से खातेदारी दर्ज किये जाने दौरान अपीलान्ट्स का नाम दर्ज नहीं किया गया। आक्षेपित नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने दौरान खातेदार रामा पुत्र लाला के समस्त वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया गया। अपीलान्ट्स रामा पुत्र लाला की जाइन्दा पुत्रियॉ होने के नाते विवादित आराजीयात में उनका भी हक हिस्सा निहित है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व मजमे आम में किसी प्रकार की कोई जानकारी किये बिना ही आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो मूलतः न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 18.06.1995 निरस्त कर अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने मुख्यतः कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात में अपीलान्ट्स के विधिक अधिकार तो निहित है केवल अपील के मयाद का प्रश्न था।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से आक्षेपित नामान्तरकरण विवादित आराजियात के भूं संशोधन में अंकित खातेदार (मृतक) रामा पुत्र लाला के सभी विधिक वारिसान की पूर्ण जांच किये बिना पारित किया जाना जाहिर है। इसलियें आक्षेपीय नामान्तरकरण यथावत रखा जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आक्षेपीय नामान्तरकरण सं0 53 दिनांक 18.6.1995 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश 30 दिवस में पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.02.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/2/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner